

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

29/09/25

पत्रावली पेसा हुई। वकील वादी को आवाज दी गई। किन्तु वकील वादी हीजर अदालत नहीं आये। वादी स्वयं भी हीजर नहीं हैं।

अतः वकील वादी की अनुमति के बिना अदालत अदम पेसी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल होकर नम्बर से कम हो। वाद पूर्ण जमा लेख कठार हो।

जिला अधिकारी
महाराष्ट्र (अलवर) राजस्थान

जिला अधिकारी
(अलवर) राजस्थान

जिला अधिकारी
महाराष्ट्र (अलवर) राजस्थान

25/10/25
जिला अधिकारी
महाराष्ट्र (अलवर) राजस्थान